सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 13, बुधवार, शाके 1943-फरवरी 02, 2022
Magha 13, Wednesday , Saka 1943- February 02, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 21, 2021

संख्या: 06/भू/.अ.ज/.सं.2021/4574-4577:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जखा-मझोला लघु सिंचाई परियोजना के बांध लाईन, बोरो एरिया एंव पूर्ण भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सूनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, तृतीय बांरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत, बांरा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगे।

विवरण

जखा मझोला लघु सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन **में उचित प्रतिकर और** पारदर्शिता **का अधिकार अधिनियम** 2013 **की धारा** 4(1) **की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव जिला बारां।**

सूची

क्र.स.	**परियोजना का नाम**	**ग्राम पंचायत**	**ग्राम का नाम**	**तहसील का नाम**	**भूमि अवाप्ति अधिकारी**
1	2	3	4	5	6
1	जखा मझोला लघु सिंचाई परियोजना के बांध का निर्माण कार्य	औगाड़	जखा मझोला	शाहबाद	जल संसाधन वृत्त बारां

फार्म-2

(**देखे-नियम**-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः-

(क**)**	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां।
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	जखा मझोला लघु सिंचाई परियोजना तहसील शाहाबाद, जिला बारां के निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र एवं डेम लाइन की भूमि अवाप्ति/परियोजना के अन्तर्गत
(ख**)**	समाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत **(i)** परामर्श **(ii)** सर्वेक्षण **(iii)** सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयां भी दें।	**(i)** परामर्श (लघु सिंचाई परियोजना बांध निर्माण हेतु) **(ii)** सर्वेक्षण **(iii)** सार्वजनिक सुनवाई
(ग**)**	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथम किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा **2(1)** के अन्तर्गत लागू नहीं हैं।
(घ**)**	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार।
(ड**)**	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ।
(च**)**	समाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधि जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां में उपलब्ध।

जितेन्द्र दीक्षित,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।